बिहार विधान सभा वादवृत्त।

सोमवार, तिथि २६ मार्च, १९५१।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में सोमवार तिथि २६ मार्च, १९५१ को संध्या समय ५ बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

तारांकित-प्रश्नोत्तर।

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS.

REPORT OF THE BIHAR HARIJAN ENQUIRY COMMITTEE.

*727. **Dr. RAGHUNANDAN PRASAD** : Will the Hon'ble Minister in charge Welfare Department be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that the report of the Bihar Harijan Enquiry Committee held under the Chairmanship of Late Bapa A. V. Thakkar is now ready and has been sent to the Government for necessary action ;

(*b*) if the answer to clause (*a*) be in the affirmative whether Government propose to distribute copies of the same to all the Scheduled Castes M. L. A.'s.

The Hon'ble Shri JAGLAL CHAUDHURY : (*a*) The report of the Bihar Harijan Enquiry Committee is not yet ready.

(*b*) The question does not arise.

हरिजनों के लिए पदों का रक्षण।

*७२८। डा० रघुनन्दन प्रसाद—क्या माननीय कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि गृह मंत्रणालय, भारत सरकार नयी दिल्ली ने एक प्रस्ताव जारी किया है कि हरिजनों के लिए १२ १/३ प्रतिशत के बदले १६ २/३ प्रतिशत पद रक्षित रखे जायं;

(ख) यदि खंड (क) का उत्तर 'हां' में है तो क्या सरकार उसकी एक प्रति मेज पर रखने का विचार रखती है?

माननीय डा० श्रीकृष्ण सिंह—(क) और (ख) भारत सरकार के गृह मंत्रणालय ने तारीख १३ सितम्बर, १९५० की प्रस्ताव सं० ४२-२१-४९ एन० जी० एस० में विनिहित किया है कि अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता अर्थात् संघी लोकसेवा आयोग

हम हुकूमत से यह अर्ज़ करना चाहते हैं कि काम घटाने की स्कीम को आप आसानी से ला सकते हैं। अभी अगर एक फाइल आप मांगते हैं तो कितने दिनों में वह फाइल आपके पास आयेगी आप नहीं कह सकते हैं। अगर आप काम घटाना चाहते हैं तो एक मिनट में फाइल आपको मिल सकती है। मेरे ख्याल में आपको कोशिश करनी चाहिये कि काम में कमी हो और अफसरों पर कम खर्च हो और ज्यादा रुपया गरीबों की गरीबी और भूखमरी को दूर करने यानी जनता की भलाई में खर्च हो। मेरे ख्याल में हुकूमत को सही असूल को समझना चाहिये और उसके मुताबिक काम करना चाहिये।

सभा की अनुमति से प्रस्ताव वापस हो गया।

कल्याण विभाग की नीति तथा कार्यपद्धति।

POLICY AND WORKING OF THE WELFARE DEPARTMENT.

Shri IGNACE BECK: Sir, I beg to move:

That the provision of Rs. 11,588 for "Civil Secretariat—Welfare Department—Pay of officers—Voted" be reduced by Re 1.

(To discuss the policy and working of WelfareDepartment.)

जनाब उपाध्यक्ष महोदय, वेलफेयर डिपार्टमेंट का काम करने का जो कायदा है उसमें बहुत कुछ खराबियां हैं जिन्हें मैंने अपनी आंखों देखी है। मेरा कट-मोशन है to discuss the policy and working of the welfare Department. यह डिपार्टमेंट गरीबों की भलाई करने के लिए है मगर जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, इसमें कई किस्म का पार्टी पोलिटिक्स इत्यादि आ गया है। मैं इस चीज की तफसील में जाना नहीं चाहता हूं मगर आप एडुकेशन स्कॉलरशिप या आप्वाएंटमेंट पर नजर ले जायंगे तो देखेंगे कि सरकार की नीति शिकायत से मुक्त नहीं है। आप मजहब या जन संख्या या तरह-तरह की अड़चनें पैदा करके वेलफेयर का कुछ काम नहीं कर रहे हैं—आपकी नीति सफल न होने का कारण यही है। हम सिर्फ एक नमूना देंगे। रांची जिले में करीब ११० स्कूल आदिम जाति सेवा मंडल के जरिये खोले गये हैं। और छोटानागपुर के बकीए ४ जिले में सिर्फ ७०–७५ स्कूल खोले गये हैं। आप जानते हैं कि खास रांची में मिसनरीज के जरिये प्राइमरी स्कूल्स काफी हैं और वहां ठीक मिसनरी स्कूल के नजदीक ही में इतने स्कूल खोलने की जरूरत नहीं थी। जहां आदिवासियों के लिए काफी स्कूल नहीं है वहां आपको ज्यादे स्कूल खोलना चाहिये था। आप इसमें रेलिजन की बात लाते हैं मगर मिसनरीज लोगों ने तो नन-क्रिश्चियन को कभी स्कूल में भर्त्ती करने में इन्कार नहीं किया है। आप उन्हें ग्रांट देते हैं, अगर वे नन-क्रिश्चियन को एडमीट नहीं करते हैं तो आप उनका ग्रांट बन्द कर सकते हैं। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता हूं, मगर असल में बात यह है कि वेलफेयर का काम करने की यह नीति नहीं है। वेलफेयर के काम में पार्टी पोलिटिक्स या राजनीति के सवाल को नहीं लाना चाहिए। इसी तरह स्कॉलरशिप और अप्वाएंटमेंट के बारे में हम हजारों मिसालें दे सकते

हैं मगर अभी हम डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में झारखंड मूवमेंट का इसके साथ बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है, मगर यदि आप सचमुच आदिवासी जनता का वेलफेयर चाहते हैं तो आपको कोई दूसरा कायदा अख्तियार करना चाहिए। आपको कड़ाई के साथ वेलफेयर की नीति को अमल में लाना चाहिए। कई मूवमेंट कितने दिनों से जारी हैं लेकिन आज तक उसका कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है। मगर आपकी नीति के जरिये आदिवासी भाई को कोई फायदा नहीं मिल रहा है।

एक नमूना में पेश करता हूं। डिवीजनल इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स ने लिखा था....

उपाध्यक्ष—आप इन सब बातों पर यहां बहस नहीं कर सकते हैं। कोई खास बात अगर कहनी हो तो कहें।

श्री इगनेस बेक—वेलफेयर डिपार्टमेंट के खर्चे का सवाल है। इसके बारे में हम जरूर बहस करेंगे अगर मेरा भाषण लम्बा हो रहा है तो मैं इसको छोटा कर सकता हूं। मैं वेलफेयर डिपार्टमेंट की पॉलिसी पर ज्यादा जोर देता हूं। पॉलिसी को बदलना चाहिए। मैंने कई बार कहा है कि हमको अपना काम अपने करने दीजिए। उन्नति करना है तो हमें करना है। किसी दूसरे के चलाने पर हम आदमी नहीं बनेंगे। हमारा यह कहना है कि हमलोगों को अपने चलने दीजिए जहां मदद की जरूरत हो मदद दीजिए लेकिन हाथों हाथ पकड़ कर न चलाइये। कंसटीट्यूशन में १० वर्ष का टाइम लिमिट है। हमारा कहना यह है कि हमलोगों को अपने चलने दीजिए। हमें पैसे की जरूरत है तो पैसा दीजिए मगर हमें अपने चलने दीजिए। उत्तर बिहार से जाकर अगर कोई काम करना चाहे तो नहीं कर सकता है। वेलफेयर डिपार्टमेंट अभी तक बिल्कुल फेल्योर रहा है। सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ कर और सब कुछ के लिए फेल्योर है। इतना कह कर मैं बैठ जाता हूं।

श्री सिदिउ हेम्ब्रेम—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे दोस्त श्री इगनेस बेक के कट-मोशन को सपोर्ट करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। पिछले बजट के समय में वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में हमें कुछ कहना था लेकिन नहीं कह सका। इस कट-मोशन में मैं वेलफेयर डिपार्टमेंट की जेनरल पॉलिसी और इसकी वर्किंग के बारे में आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा। वेलफेयर डिपार्टमेंट जब खोला गया था तो उसका मकसद यह था कि स्टेट के अन्दर जितनी पिछड़ी हुई जातियां हैं, जैसे आदिवासी, हरिजन, वगैरह उनको दूसरी जातियों के बराबर लाने के लिये जितनी जल्दी हो सके कोशिश की जायगी। आज मैं विशेष कर आदिवासियों के बारे में आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। आदिवासियों की भलाई के लिये तमाम स्टेट के अन्दर आदिम जाति सेवा मंडल कायम हुआ है। यह नन-ऑफिशियल बॉडी है। अखिल भारतीय आदिम जाति सेवा मंडल जो कायम है उसके प्रेसिडेंट हैं डा० राजेन्द्र प्रसाद जो यूनियन के भी प्रेसिडेंट हैं। जब संथाल परगना का उन्होंने दौरा किया था तो कहा था कि आदिवासियों के लिए स्टेट की ओर से सब कुछ किया जा रहा है। मुझे यह सुन कर हैरत होता है कि हमारे प्रेसिडेंट के ऐसा बड़ा आदमी इस तरह की बात करते हैं और जनता

के सामने ऐसी बातें रखते हैं। जैसा मैंने पहले कहा है इस डिपार्टमेंट को खोलने की जरूरत यह है कि आदिवासियों को उन्नति के रास्ते पर पहुंचायें। इसके लिए कंसटीट्यूशन में कुछ बातें रखी गई हैं। आदिवासियों के लिए ट्राइवल एडवाइजरी कौंसिल बनाने का प्रॉविजन है। लेकिन एक साल से ज्यादा हो गया और ट्राइवल वेलफेयर कौंसिल बनाने का कोई जिक्र नहीं है। पिछले सेशन में मैंने कहा था कि जल्द बनना चाहिए लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। आसाम और उड़ीसा में यह कौन्सिल बन गयी है। विधान के रास्ते को छोड़ कर एक दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं जिसमें आप मनमानी कर सकें। बात यह है कि इस वक्त आदिम जाति सेवा मंडल बिहार में कायम किया गया है जिसके मंत्री है नारायण जी।

The Hon'ble Shri RAMCHARITRA SINHA : Is the honb'ble member in order in discussing the whole policy of the Welfare Department ? The policy has already been accepted. He should discuss that the pay of certain officers is superfluous. He should restrict his remark to the officers and bring to the notice of the House any irregularity. He should not discuss the whole policy of the welfare department.

श्री मुहम्मद अब्दुल गनी—मेरे लायक दोस्त सिदिउ हेमब्रोम जो बोल रहे हैं वह सही बोल रहे हैं। वेलफेयर डिपार्टमेंट के हर आइटम को इकट्ठा करके एक जगह लाकर बोल रहे हैं। वेलफेयर डिपार्टमेंट के तेहत में जितना कट-मोशन आया है सब को इकट्ठा करके इसकी पॉलिसी के तेहत में बोल रहे हैं, इन्सटांसेज दे रहे हैं और इंसटांसेज देने का उनको हक है।

The Hon'ble Shri RAMCHARITRA SINHA : He should not discuss the general policy of the department. He may discuss regarding the pay of certain officers voted but he cannot discuss the whole policy. I think he is not in order in discussing the whole policy of the Welfare Department. He should restrict his remarks to the officers if he thinks that officer is superfluous and think like that.

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य को कटौती के प्रस्ताव पर बोलना चाहिए। और बातों पर बहस नहीं कर सकते।

श्री सिदिउ हेम्ब्रोम—उपाध्यक्ष महोदय, वेलफेयर डिपार्टमेंट के जरिये जिस नीति का अनुसरण किया जाता है वह हमलोगों के लिये बेकार है।

उपाध्यक्ष—पे ऑफ ऑफिसर्स के संबंध में आप कह सकते हैं लेकिन पॉलिसी पर कुछ नहीं कह सकते।

श्री सिदिउ हेम्ब्रोम—मैं कह रहा था कि वेलफेयर डिपार्टमेंट को ओर से आदिवासियों के शिक्षा देने के लिये जो प्रबन्ध है उससे कुछ भी लाभ नहीं होता है।

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय—हुजूर के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। ये फिर पॉलिसी पर बोल रहे हैं।

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य को सिर्फ इतना ही बतलाना चाहिये कि ११,५८८ रुपया उन्हें क्यों नहीं दिया जाय।

श्री सिदिउ हेम्ब्रोम—मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासियों को सुविधा पहुंचाने के लिये जो पॉलिसी इस डिपार्टमेंट की है उससे उलटा ही असर पड़ता है। मेरा ख्याल है कि जिस तरह अंग्रेज आदिवासियों को फंसा २ कर क्रिश्चियन बनाया करते थे, उसी तरह इस सरकार में भी आदिवासियों को बुद्धू बनाया जा रहा है। आदिवासियों को जो शिक्षा दी जा रही है वह संस्कृत और हिन्दी में दी जा रही है। उनको अपनी भाषा में शिक्षा मिलनी चाहिये, तभी उनको लाभ पहुंच सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि इससे आदिवासियों का वेलफेयर नहीं हो रहा है। बेसिक स्कूल्स के टीचर्स का मुशाहरा ज्यादा रखा गया है लेकिन जो पुराने प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स हैं उनकी तनख्वाह १५, २० रुपया है। इससे आदिवासियों की भलाई......

उपाध्यक्ष—शान्ति-शान्ति। माननीय सदस्य को जेनरल डिसकशन की बात नहीं करनी चाहिये। यह कई मर्तबे कहा जा चुका है। अगर माननीय सदस्य कोई नई बात नहीं कहना चाहते तो अपना स्थान ग्रहण करें। वे नीति की बात नहीं कह सकते हैं।

श्री सिदिउ हेम्ब्रोम—मैं आपके जरिये इस हाउस को बतलाना चाहता हूं कि कंस-टीट्यूशन में आदिवासियों के वेलफेयर के लिये जो पॉलिसी है......

उपाध्यक्ष—कंसटीट्यूशन में आदिवासियों के लिए जो प्रोविजन है उसके लिये दूसरा कट-मोशन है।

श्री सिदिउ हेम्ब्रोम—तब मैं बैठ जाता हूं।

श्री शक्ति कुमार—उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व वक्ताओं ने वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में कहा है कि हमारे अफसर लोग हैं उनको रुपया दिया जाय या नहीं इस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। जहां तक आदिवासियों और हरिजनों का सवाल है महान् व्यक्ति द्वारा एक संस्था कायम की गई है। जो हरिजनों और आदिवासियों के बीच काम हो रहा है वह उन्हीं का बताया हुआ है। जहां तक पढ़ने-लिखने का सवाल है उसके संबंध में मैं कहूंगा कि हिन्दी भाषा से किसी को एतराज नहीं होना चाहिये। जो घरेलू भाषा है उसको लोग पढ़ें।

उपाध्यक्ष—मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ११,५८८ रुपया की मांग किस लिये है।

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय—अंडर-सेक्रेटरी का पोस्ट क्रीएट करने के लिये और अडिशनल स्टाफ के लिये।

उपाध्यक्ष—तो माननीय सदस्य को अपना भाषण इसी विषय पर सीमित रखना चाहिये।

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय—सप्लीमेंटरी स्टेटमेंट में जो पांच रुपया ग्रांट है उसमें जो नोट है उसको भी पढ़ना होगा। उसमें यह है कि अंडर-सेक्रेटरी के पोस्ट के

लिये जो इन्क्रीज्ड एक्सपेंडिचर ११,५८८ रुपया का हुआ है उसी के लिये हम मांग पेश कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष—माननीय मिनिस्टर साहब ने जो एक्सप्लेन किया है उसी के आधार पर माननीय सदस्य को भाषण देना चाहिये।

श्री शक्ति कुमार—अच्छी बात है। अंडर-सेक्रेटरी ही सही। सवाल यह है कि जो कुछ रुपया हमलोगों से मंजूर कराया जाता है वह अफसरों के मुशाहरे पर खर्च होता है। वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो अफसर रखे जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है कि वे इसलिये रखे जाते हैं कि वेलफेयर का काम हो या इसलिये रखे जाते हैं कि जितना भी काम हो वह धीरे-धीरे किया जाय। वेलफेयर ऑफिसर जो हरिजनों की स्थिति जानने के लिये प्रांत से बाहर भेजे गये थे उन्हें करीब-करीब दो वर्ष हो रहे हैं लेकिन उनकी कोई रिपोर्ट या स्कीम नहीं आयी जिससे यह पता चले कि उन्होंने हरिजनों के बारे में क्या जानकारी हासिल की है। आप सेक्रेटरी, अंडर-सेक्रेटरी और दूसरे-दूसरे अफसर बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन काम आगे नहीं बढ़ता है। मैं यह नहीं चाहता हूं कि अफसर नहीं रहें बल्कि मैं यह चाहता हूं कि अफसर रहें तो काम भी हो। ऐसा न हो कि अफसर तो बढ़ते जायं और काम पीछे पड़ता जाय। सरकार की पॉलिसी यह है कि जितनी जल्दी हो सके हरिजनों के वेलफेयर का काम आगे बढ़ाया जाय। लेकिन हमारे अफसरों में जितनी तेजी होनी चाहिये उतनी नहीं है। वे रुपया इसलिये पाते हैं कि वेलफेयर का काम आगे बढ़ावें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके लिये रुपया खर्च करने में दुख होता है। जब हमसे रुपया मांगा जाता है तो मेरा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि मैं यह पूछूं कि काम क्या हो रहा है?

होस्टेल के बारे में दो-तीन वर्षों से बात चल रही है लेकिन कभी यह कहा जाता है कि कोयला नहीं मिला, कभी यह कहा जाता है कि लकड़ी नहीं मिली। स्कालरशिप के बारे में भी ऐसी ही बात है। ठीक वक्त पर लड़कों को रुपया नहीं मिलता है। तीन-तीन चार-चार महीनों तक लड़के भटकते रहते हैं और आखिरकार लाचार होकर उन्हें स्कूल या कॉलिज से हट जाना पड़ता है।

जोनल वेलफेयर ऑफिसर्स की जो बहाली अभी हाल में हुई है उनके सम्बन्ध में मेरा ख्याल यह है कि उन्हें कोई इन्सट्रक्शन नहीं गया है कि कौन काम करना चाहिये और कौन काम नहीं करना चाहिये। १८ लाख रुपया जो मिला है, मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी हालत में खर्च भी हो सकेगा या नहीं।

अरसे से मेहतरों के लिये एक कॉलोनी बनाने की बात भी सरकार की तरफ से चल रही है लेकिन वह स्कीम कहां है और कब काम में आयेगी इसका कुछ पता नहीं है। हम इतना ज्यादा मुशाहरा सेक्रेटरी और अंडर-सेक्रेटरी को इसलिये देते हैं कि वे और ज्यादा तेजी से काम करें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।

कुआं के सम्बन्ध में भी बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं लेकिन सरकार की तरफ से क्या इन्सट्रक्शन दिया जाता है यह बात समझ में नहीं आती। जब कोई काम ही नहीं हो रहा है तो आपको हमसे रुपया मांगने का कोई हक नहीं है। हम कलेजे पर पत्थर रख कर रुपया जितना खर्चा हो उतना देने को तैयार हैं लेकिन आप सेक्रेटरी या अंडर-सेक्रेटरी ऐसा रखिये जो दिल से हरिजनों को ऊपर उठाने की कोशिश करे। ऐसा न हो कि फाइल्स सिर्फ यहां से वहां घूमती रहे और काम कुछ भी न हो। अभी हाल ही में वेलफेयर डिपार्टमेंट से हमारे पास एक चिट्ठी आयी। लेकिन वह कब टाइप की गयी, कब सेक्रेटरी ने दस्तखत किया और वह कब चली और कब हमारे पास पहुंची इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं लेकिन अफसोस है कि यह चिट्ठी अभी हमारे पास नहीं है। उसके देखने से यह पता चलता है कि किस ढंग से वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम हो रहा है। काम शुरू ही से होना चाहिये लेकिन ऐसा न होकर जब साल खतम होने में तीन महीने बाकी रहते हैं तब सेक्रेटरी लोग फाइल मिनिस्टर के यहां बढ़ाते हैं। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट और दूसरे २ डिपार्टमेंट्स में वह फाइल घूमती रहती है और काम नहीं हो पाता है। मैं जानता हूं कि सरकार काम करना चाहती है लेकिन सरकार के ऑफिसर्स काम पर ध्यान नहीं देते हैं। आपके ध्यान में यह बतलाना चाहता हूं कि स्टैंडिंग कमिटी की जो रिपोर्ट होती है वह सेक्रेटरियट में जाती है लेकिन वहां से वापस लौट कर नहीं आती और यह पता नहीं चलता कि क्या काम सरकार करना चाहती है।

एक एक्जाम्पुल तो हमने दिया कि एक अफसर प्रान्त के बाहर भेजे गये और बाहर का ओपिनियन लेकर आये मगर अभी तक हमलोगों को रिपोर्ट नहीं मिला कि क्या हुआ है गो कि दो वर्ष से वेशी उनको आये हुए हो गये। अभी जो वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए कमिटी बनी है उसकी रिपोर्ट सरकार के सामने सबमिट हुई है या नहीं यह भी मालूम नहीं है। इसमें इतनी देर हो गई है कि मुझे सन्देह है कि हमलोगों के रहते-रहते यह काम होगा। इसलिए मैं इस विभाग के माननीय मंत्री से कहूंगा कि थोड़ा टूर कम करके इस विभाग की ओर ज्यादा ध्यान दें। अभी किसी विषय में कुछ पूछने पर फाइल खोजी जाती है और किसी बात का ठीक जवाब नहीं मिलता है। आप को कुंभकरण के ऐसा १२ वर्ष सोने और १२ वर्ष जागने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जितना रुपया जिस मद में मिले उसे मुस्तैदी के साथ खर्च करें जिसमें हरिजनों के कल्याण का कुछ काम हो। ऐसा नहीं करने से सरकार की बदनामी होगी। यहां तीनों मिनिस्टर जो वेलफेयर के काम से सरोकार रखते हैं मौजूद हैं लेकिन उनके सेक्रेटरीज उनको सही एडवाइज नहीं देते हैं। आपको अच्छा काम करना चाहिये जिसमें आपको यश मिले और हरिजनों की भलाई हो। ऐसा होने ही से आपके नाम का झंडा फहरायेगा और समाज आगे बढेगा। आपको १८ लाख रुपया खर्च करना है। आपको इसके लिये स्कीम बनाकर कैबिनेट के सामने रखना चाहिये। अभी तो हालत यह है कि कल्याण विभाग की फाइल जहां जाती है वहीं पड़ी रह जाती है—कभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में या कभी केबिनेट में। इसकी बराबर शिकायत होने पर भी अभी तक कुछ नहीं हो सका।

मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हरिजन लोग अब पॉलिटिकल माइन्डेड हो रहे हैं। इससे उन्हें घबड़ाना नहीं चाहिये। यदि सब हरिजन पॉलिटिकल माइन्डेड हो जायं तो इससे भी उनका कल्याण ही होगा। इसलिये मेरा कहना है कि आपको तेजी से काम करना चाहिये और देखना चाहिये कि किस तरह से काम होगा। इतना ही कह कर मैं बैठ जाता हूं।

*श्री बरियार हेमब्रोम—मैं श्री इगनिस बेक के कट-मोशन का समर्थन करते हुए कल्याण विभाग के माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहता हूं कि अफसरों के लिये जो ११,५८८ रुपये की मांग है वह किस काम के लिये है। जहां तक हम समझ सके हैं यह मांग अंडर-सेक्रेटरी के पोस्ट के लिये है लेकिन हमारी समझ में नहीं आता है कि वे क्या काम करेंगे। हमारे आदिवासी भाइयों को न खाना मिलता है, न कपड़ा मिलता है, मगर अंडर-सेक्रेटरी के लिये इतनी बड़ी मांग है। इससे हमारे गरीब भाइयों को क्या मदद मिलेगी। हमारे पहाड़ी भाइयों को खाने के लिये न अन्न है न जोतने के लिये ज़मीन है ऐसी हालत में आप यहां पर अंडर-सेक्रेटरी बहाल करके क्या काम करेंगे ? अभी भी डिस्ट्रीक्ट वेलफेयर औफिसर्स, असिस्टेंट वेलफेयर ऑफिसर्स इत्यादि बहुत अफसर हैं मगर काम कुछ नहीं होता है। अभी तक तो पहाड़िया लोग जंगलों में लकड़ी काट और उसे बेच कर अपनी जीविका चलाते थे लेकिन अब जंगल में लकड़ी काटना बंद कर दिया गया है। उनकी जीविका के लिए कोई प्रबंध नहीं हो रहा है और इधर अफसरों पर इतना रुपया बरबाद किया जा रहा है। ऐसा होने से सरकार तो खुद बदनाम हो ही रही है, उसके साथ ही साथ आदिवासी लोगों के जो प्रतिनिधि यहां हैं वे भी बदनाम हो रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री यह बतलावें कि अंडर-सेक्रेटरी बहाल होकर क्या काम करेंगे। मैं इतना ही कह कर खतम करता हूं।

श्री भागवत प्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष भी यह मांग सभा के सामने आई थी और विरोधी दल के सभासदों ने इसका विरोध किया था। मैंने इस मांग का समर्थन किया था और अंडर-सेक्रेटरी के पद के औचित्य पर हमने सभा के सामने अपना विचार रखा था। मैं शुरू में ही कह देता हूं कि बहुत ज्यादा अफसरों को बहाल करना मैं अच्छा नहीं समझता हूं लेकिन वेलफेयर में एक अंडर-सेक्रेटरी की बहाली हुई तो मैंने इसका स्वागत किया था और इसलिये स्वागत किया था कि इस डिपार्टमेंट में खास करके हरिजन वेलफेयर के सम्बन्ध में जितनी सुस्ती से काम हो रहा था वह दूर होगी और उसके कार्य में कुछ प्रगति आयेगी। लेकिन मेरी निराशा ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस सभा को मालूम है कि सिर्फ ५-७ रोज पहले मैंने एक प्रश्न पूछा था कि हरिजन कल्याण मंत्री महोदय ने हरिजन कल्याण के लिये इस वर्ष के बजट में किस-किस मद में कितने-कितने रुपये रखे हैं और उनमें से अभी कितने खर्च हुए और कितना बाकी

*माननीय सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया।

इस आर्थिक वर्ष में होने की उम्मीद है ? अगर सभा ने उत्तर पर ध्यान दिया होगा तो सभा को यह बात मालूम होगी कि यह रुपया खास करके हरिजन छात्रों के लिए है जिनको कालेज में छात्रवृत्ति मिलती थी। छात्रवृत्ति मिलने में जो देर होती है वह अक्षम्य है। अध्यक्ष महोदय, आज ठक्कर बापा की याद मुझे बरबस आ रही है। गत वर्ष मैंने सरकार को धन्यवाद दिया था और साथ ही साथ मैंने सारी कृतज्ञता एक मात्र ठक्कर बापू के प्रति प्रगट की थी और हरिजन इन्क्वायरी कमिटी के लिये उन्होंने अपने जीवन के अन्तिम समय में इस सरकार को १० लाख रुपया दिया, मगर मुझे अफसोस है कि इसका काम तेजी से आगे न बढ़ा। यह कितने अफसोस और दुख की बात है कि ठक्कर बपा जिन्होंने अविरत परिश्रम द्वारा, मंत्रियों के पास दौड़-धूप कर खास करके मेहतरों के लिये उन्होंने जो ३ लाख रुपया इस सरकार से अलग करवाया था, आपको और इस सभा को सुन कर आश्चर्य होगा कि वह रुपया हमारे माननीय हरिजन मंत्री या मंत्रिमंडल के पास ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। मैंने सवाल पूछा कि आखिर वह रुपया क्या हो गया है ? उस रुपये को मिले २-४ महीना क्या एक साल से भी ज्यादा हो रहे हैं। सिर्फ इसी बात पर विचार हो रहा है कि मेहतरों के लिए एक कोठरी का घर हो या दो कोठरी का ? सिर्फ इसी बात पर आज तक विचार हो रहा है और तीन लाख रुपया ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है और वह रुपया न किसी म्युनिसिपैलिटी को दिया गया है। मैं तो कहता हूं कि वह रुपया जिले की म्युनिसिपैलिटी को तो आप बांट देते इसके बाद इसका फैसला होता कि मेहतरों के लिए एक कमरे का घर हो या दो कमरे का। मगर आप इस प्रश्न से निबट नहीं सकें और यह सारा का सारा रुपया ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। मेरी राय में यह काम नहीं करना उस दिवंगत आत्मा के प्रति विश्वासघात करना है।

अभी हमारे मित्र श्री शक्ति कुमार ने कहा है कि हरिजन कल्याण के लिये बजट में १८ लाख रुपया है। पर साल १८ लाख रुपया हरिजन कल्याण के लिये रखा गया था मगर इस साल सिर्फ १३-१४ लाख रुपये रखे गये हैं। मुझे इस बात को सभा के सामने रखने में बहुत तकलीफ होती है। हरिजन कल्याण में जो रुपये रखे गये हैं उसमें बहुत ही कम रुपया सेक्रेटरियट में बैठ कर हरिजन कल्याण का डाइरेक्ट काम करने में खर्च हुआ है। ४॥ लाख रुपया स्कूल के हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए था और १॥ करोड़ रुपया कॉलेज के हरिजन विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति के लिये था इस प्रकार ६ लाख रुपया छात्रवृत्ति के लिये था। एक लाख रुपया घरेलू उद्योग-धंधों के लिए हरिजनों को कर्ज देने के लिये रखा गया था। इस प्रकार ७ लाख रुपये के अलावे जो कुछ रुपया है वह सेक्रेटरियट में बैठ कर खर्च होने वाला नहीं है। प्रत्येक जिले के जिला मैजिस्ट्रेट को हरिजन कल्याण के लिये २-३ हजार रुपया देना चाहिये जो अपने जिले में आवश्यकतानुसार हरिजन कल्याण कार्य कर सके। सात लाख रुपया के अलावे और जो रुपया है उसे डाइरेक्ट म्युनिसीपलिटीज को दे दें, या डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट को दे दें या हरिजन सेवक संघ को दे दें या हरिजन उत्थान की जो संस्था है उसको दे दें।

इस हाउस को यह बात अच्छी तरह विदित है कि जो हरिजन छात्र कालेज में पढ़ते हैं उनको ठीक समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलती है—इसके विषय में इस सभाके हरिजन सदस्यों ने अपना क्षोभ प्रगट किया है। अन्य माननीय सदस्यों का ध्यान भी इस बात की ओर गया है। जुलाई से पढ़ाई शुरू होती है तो छात्रों को मार्च या अप्रील में छात्रवृत्ति क्यों नहीं दी जाती है? अंडर-सेक्रेटरी का पोस्ट जब सैंक्शन हुआ तो मैंने उसका स्वागत इसलिये किया था और मुझे उम्मीद भी थी कि जब एक नया आदमी आ गया है तो छात्रवृत्ति मिलने में जो देरी होती है वह न होगी मगर मुझे निराश होना पड़ा? अगर आप इनको छात्रवृत्ति ठीक समय पर नहीं देते हैं तो बाद में देने की एक जरूरत है। यह बात बार बार कही जाती है। मेरा अपना ख्याल यह है कि इस बात को बार बार दुहराना अच्छा नहीं मालूम होता है क्योंकि मैंने संतोष कर लिया है कि इसमें अब कोई सुधार होना सम्भव नहीं है। ३१ मार्च को रुपया लैप्स होने वाला है इसलिये जिसको पाया उसको दे दिया। यह कहा जाता है कि एक जिले से एक भी दरखास्त नहीं आई थी तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस जिले से दरखास्त नहीं आई थी यह कहां तक संतोषजनक बात हो सकती है। हरेक जिला में जिला हरिजन वेलफेयर अफसर रहते हैं उनके मातहत जोनल सेवक रहते हैं जो हरिजन के कल्याण के लिये काम करते हैं तो यह कैसे सम्भव हो सकता है कि दरखास्त नहीं आई थी।

छात्रवृत्ति के बारे में चर्चा न करना ही अच्छा मालूम होता है लेकिन फिर भी मैं माननीय मंत्री से कह देना चाहता हूं कि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति सितम्बर और अक्तूबर तक जरूर मिल जाना चाहिये।

लेकिन अभी मुझे खबर मिली है कि मुंगेर जिले में जितने भी विद्यार्थी हैं उनको कुछ भी नहीं मिला है। विद्यार्थियों के बारे में मैं बतला देना चाहता हूं कि सितम्बर के महीने में प्रिंसपल के मारफत उन्होंने दरखास्त दी। अक्तूबर के महीने में उनको खबर मिली कि स्कालरशिप मिल गया। मगर अभी तक उनको मार्च के महीने तक कुछ नहीं मिला है। यह कहा जाता है कि ताकीद कर दी गई है। मगर ताकीद कर देना पर्याप्त नहीं होता। मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इसी बिहार गवर्नमेंट में १९३९-४० में ऐसा हुआ करता था कि दशहरा के पहले सभी लड़कों को छात्रवृत्ति मिल जाती थी। मगर जब एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, इतने अफसर हो गये, डिवीजनल ऑफिसर्स हो गये और डिस्ट्रीक्ट आफिसर्स हो गये तो फिर इतनी देरी क्यों होती है? मैंने जब इसके बारे में सवाल किया तो मुझ से कहा गया कि तुम्हारा क्या सुझाव है। मैं अपना सुझाव कई बार रख चुका हूं। यह बात मान ली गई है कि सभी हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। मैंने यह सुझाव दिया था कि हर कालिज में थोड़ी सी रकम ४-६ महीने के लिये प्रिंसिपल के हाथ में रख दी जाय इस हिसाब से कि कितने हरिजन विद्यार्थी हैं और कितने के आने की संभावना है लेकिन मंत्री महोदय ने शायद इस सुझाव को डिपार्टमेंट में भेजा भी नहीं। मैं माननीय मंत्री महोदय से फिर

अपील करूंगा कि वह इस बात पर विचार करें और इसके मुताबिक काम करने की कोशिश करें।

(इस समय माननीय अध्यक्ष ने पुनः आसन ग्रहण किया)

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय जब इस मांग पर बहस चल रही थी तो मने यह बताने की चेष्टा की थी कि यह मांग क्यों पेश की गई। यह इसलिये पेश की गई कि वेलफेयर डिपार्टमेंट में एक अंडर-सेक्रेटरी का पोस्ट गवर्नमेंट ने १२ अगस्त, १९५० को क्रीयट किया और उसके लिये फर्स्ट सप्लीमेंटरी स्टेटमेंट में ५ रुपया का टोकन डिमांड पेश किया जो मंजूर हो गया। तो यह समझा जाना चाहिये कि हाउस ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि इस डिपार्टमेंट में एक अंडर-सेक्रेटरी की जरूरत है। मैं बतला देना चाहता हूं कि वेलफेयर डिपार्टमेंट में अंडर-सेक्रेटरी की क्या जरूरत है। जब यह डिपार्टमेंट कायम हुआ था तो इसमें एक सेक्रेटरी थे। सेक्रेटरी का रहना तो जरूरी है माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे, क्योंकि मिनिस्ट्री का जो हुक्म जारी होता है वह कंसटीट्यूशन के मुताबिक सेक्रेटरी के नाम से जारी होता है। मगर जो वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे उनको सिर्फ सेक्रेटरियट में बैठ कर काम नहीं करना पड़ता था। उनको बाहर जाकर टूर और इन्सपेक्शन भी करना पड़ता था। इसकी वजह यह थी कि एक नया डिपार्टमेंट एबोरिजीनल के बीच या हरिजन के बीच या बैकवर्ड मुस्लिम्स के बीच कायम करना था। एक नई चीज सरकार ने शुरू की थी इसलिये यह देखना भी जरूरी था कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक मुफस्सिल में काम हो रहा है या नहीं। सेक्रेटरी जब टूर पर चले जाते थे तो दिक्कत यह हो जाती थी कि उस डिपार्टमेंट से कोई आॅर्डर इसू नहीं हो सकता था क्योंकि आॅर्डर इसू करना सेक्रेटरी या अंडर-सेक्रेटरी का काम है। आप यह कह सकते हैं कि टूर करने के लिये कोई दूसरा अफसर रख सकते थे। बात बिल्कुल सही है। और डिपार्टमेंट्स में हेड आॅफ दी डिपार्टमेंट हैं। उनका काम इंसपेक्शन का है जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट में आई० जी० है या रेवन्यू डिपार्टमेंट में जेनरल इंसपेक्शन के लिये मेम्बर बोर्ड आॅफ रेवन्यू हैं। अभी यह डिपार्टमेंट बढ़ा नहीं है। मेरा ख्याल है कि जब काम बढ़ जायगा तो हेड आॅफ दी डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट में रखना पड़ेगा जिसका काम होगा टूर करना और यह देखना कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक काम हो रहा है या नहीं। हां, तो सेक्रेटरी को दो काम करना पड़ता था—एक सेक्रेटरी का और दूसरा हेड आॅफ दी डिपार्टमेंट का, और जब सेक्रेटरी १०-१५ रोज टूर में रह जाते थे तो दिक्कत यह हो जाती थी कि आॅर्डर्स पेंडिंग रह जाते थे।

यह ठीक है कि माननीय सदस्य को संतोष नहीं है कि जितना काम होना चाहिये नहीं हो रहा है। हमलोग मिनिस्टर हैं और खुद इस बात को महसूस करते हैं कि जितना काम हम चाहते हैं नहीं होता है। काम की बाढ़ है। इस डिपार्टमेंट में एबोरिजीनल वेलफेयर का बजट है, हरिजन वेलफेयर का बजट है, बैकवर्ड मुस्लिम्स का बजट है सभी बजट में वृद्धि हुई है जिसका मतलब है कि काम बढ़ गया है। इसके साथ-साथ

यह ख्याल रखना चाहिये कि इस डिपार्टमेंट में एक और डिपार्टमेंट जोड़ दिया गया है जो कि बैकवार्ड क्लासेज का है। ऐसी परिस्थिति में एक अंडर-सेक्रेटरी का रहना जरूरी है।

दूसरी बात यह है कि इस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी श्री पुष्कर ठाकुर पहले प्रॉविशीयल सर्विस के आदमी थे मगर उनका प्रोमोशन आई० ए० एस० में दो एक वर्ष पहले से रिट्रॉसपेक्टिव इफेक्ट देकर हो गया और यह ठीक ही हुआ। इस प्रोमोशन का असर यह हुआ कि इस पिरीयड के लिये उनको ज्यादा वेतन देना पड़ा इसलिये इस बजट में इंक्रीमेंट हो गया। मैं समझता हूं कि जहां तक इस मांग का सवाल है मैंने आपको काफी वजह दे दी कि क्यों ११,५८८ रुपये की मांग पेश की गई।

और जो बातें वेलफेयर के संबंध में की गई हैं मैं उनका जवाब देना नहीं चाहता हूं। इसलिये नहीं कि मैं उनसे भागता हूं—कभी मौका हो तो आप प्रस्ताव लावें मैं उनका जवाब दूंगा बल्कि इसलिये कि जितनी बातें कही गई हैं उनका संबंध इस सवाल से नहीं है। इसी लिये मैं उनका जवाब देना नहीं चाहता हूं।

श्री इगनेस बेक—हमलोग एपॉयंटमेंट के खिलाफ नहीं हैं। हमलोग केवल यह चाहते हैं कि काम ठीक तरह से हो। हमलोग जिस उद्देश्य से रुपया मंजूर करते हैं वह उद्देश्य पूरा नहीं होता है। अभी भागवत बाबू ने एक मिसाल पेश की है। उस तरह की जाने कितनी मिसालें दी जा सकती हैं। लड़कों के पढने के लिये आप स्कॉलर्शिप्स देते हैं। वे अपना बजट उसी हिसाब से बनाते हैं लेकिन रुपया समय पर नहीं मिलने के कारण उन्हें बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। पिछले साल वेटेरिनरी कॉलेज के लड़कों को जुलाई से रुपया मिलना चाहिये था लेकिन बजट सेसन के वक्त तक रुपया नहीं मिला। बेचारे गरीब लड़के कभी डेवेलॉपमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं और कभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में दौड़ लगाते हैं लेकिन कुछ पता नहीं लगा। अन्त में मैंने दौड़ धूप किया तब आर्डर इसू हुआ। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार इस ओर कार्रवाई करेगी।

अब मैं सरकार के आदिवासी नीति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष—आप जवाब देने के समय कोई नई बात नहीं कह सकते।

सभा की अनुमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

सचिवालय के विभागों में अतिरिक्त पदाधिकारी।

ADDITIONAL OFFICERS IN THE SECRETARIAT DEPARTMENTS

Shri BASUDEVA PRASAD SINHA : Sir, I beg to move :

That the provision of Rs. 8,58,468 for the Civil Secretariat be reduced by Re. 1.

(The purpose of this motion is to discuss the desirability of this heavy expenditure in keeping these additional officers in Secretariat Departments.)